न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 26/2022

प्रार्थी

नियाज मोहम्मद पुत्र श्री सफी मोहम्मद, जाति– मुसलमान, निवासी– अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) सरपंच, ग्राम पंचायत, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही
(2) ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, रेवदर, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, प्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 26 अक्टूबर, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी नियाज मोहम्मद पुत्र श्री सफी मोहम्मद, जाति– मुसलमान, निवासी– अनादरा की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने के संबंध में जारी नोटिस क्रमांकःग्रा.पं./2022–23/07 दिनांक 24.5.2022 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान प्रथम सुनवाई तिथि 27.6.2022 को अप्राथ्री ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, अनादरा उपस्थित हुये एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा, उसके बाद अप्रार्थीगण इस न्यायालय में उपस्थित नही हुये एवं न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित हुआ। जिससे, अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है।

(3) प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थी के निगरानी आवेदन में तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि ग्राम– अनादरा, तहसील रेवदर, जिला–सिरोही के आबादी क्षेत्र में प्रार्थी का पुराना कब्जे शुदा स्वामित्व का भूखण्ड मय मकान आया हुआ है, जिसका ग्राम पंचायत अनादरा द्वारा प्रार्थी व उसके भाई के नाम से पट्टा संख्या 24 दिनांक 10.10.1960 को जारी किया हुआ है, जिसमें अनुसार प्रार्थी के भूखण्ड मय मकान का नाप उत्तर में 55 फीट, दक्षिण में 72 फीट, पूर्व में 56 फीट व पश्चिम दिशा में 71 फीट कुल क्षेत्रफल 3632 वर्गफीट है, जिसके चतुर्दशी उत्तर में व्यापारी मजीद भाई पुत्र अजीज खां, दक्षिण में खालसाई जमीन, पूर्व में अरठ नवा जाव व पश्चिम में व्यापारी जीमल भाई का बाडा आया हुआ है। उपरोक्त वर्णित नाप के भूखण्ड पर प्रार्थी के पिता के समय से कब्जा व मकान बना हुआ है जिसमें प्रार्थी के पिता के जीवनकाल में प्रार्थी के पिता व उनकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थी व उसका भाई बतौर मालिक काबिज होकर उस पर अपना कब्जा व अधिकार जमाये हुए है। इस भूखण्ड की चतुदर्शी देखने से स्पष्ट है कि इसके किसी भी दिशा में कोई आम रास्ता नही है। प्रार्थी व उसके भाई के [illegible] जारी होने के पश्चात् नासिर मोहम्मद पुत्र जमील मोहम्मद द्वारा [illegible] संख्या 5 दिनांक 04.4.1986 को जारी करवाया। इस पट्टे संख्या [illegible] में ग्राम पंचायत, [illegible] द्वारा ....[illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:51 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

नासिर मोहम्मद के कब्जे से अधिक भूमि का पट्टा जारी किया तथा इस पट्टे की चतुदर्शी में भी उत्तर दिशा में सफी मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद कुरैशी का मकान बताया हुआ है, जो कि प्रार्थी के पिता है। इस प्रकार, प्रार्थी तथा नासिर मोहम्मद के भूखण्ड के बीच में कोई रास्ता नही है। यह कि वर्तमान में इस नासिर मोहम्मद ने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर एकतरफा कार्यवाही कर बिना कोई जांच किये और प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 24.5.2022 को ग्राम पंचायत, अनादरा से इस आशय का नोटिस जारी करवाया कि प्रार्थी का मकान रास्ते की भूमि पर बना हुआ है, जबकि वास्तव में प्रार्थी का मकान वर्ष 1960 से बना हुआ है एवं उस दौरान कभी भी किसी भी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं की, परन्तु अब नासिर मोहम्मद के पट्टे का नाप करने पर उक्त नाप रास्ते की भूमि में आने पर ग्राम पंचायत ने इस अवैध पट्टा संख्या 5 को मौके पर स्थापित करने के लिये प्रार्थी के भूखण्ड व मकान को गलत रूप से रास्ते के रूप में दर्शा दिया। यह कि प्रार्थी का पट्टा वर्ष 1960 में जारी किया हुआ है, जबकि नासिर मोहम्मद का पट्टा वर्ष 1986 में जारी किया हुआ है। ऐसी स्थिति में, बाद में जारी किये हुए पट्टे में ग्राम पंचायत द्वारा गलत नाम दर्शित कर दिया, जबकि उस पट्टे में दर्शित नाप पर कभी भी नासिर मोहम्मद या इसके परिवार का कोई कब्जा हक् अधिकार नहीं रहा है। दिनांक 24.5.2022 को ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा प्रार्थी को जारी किये गये नोटिस में ग्राम पंचायत द्वारा अनेक पत्रों का हवाला दिया है, परन्तु ग्राम पंचायत, अनादरा से बार बार मांगने पर भी किसी भी पत्र की प्रति प्रार्थी को नहीं दी गई है। इस प्रकार, प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा प्रार्थी के पुश्तैनी मकान को अतिक्रमण बताकर हटाने पर आमादा है, जिसे हटाने का ग्राम पंचायत, अनादरा को कोई हक अधिकार नही है। यह कि वर्ष 2011 में भी प्रार्थी के इस भूखण्ड व पट्टे के संबंध में शिकायत की गई थी जिसमें विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर ने प्रार्थी की अनुपस्थिति में गलत मौका रिपोर्ट बनाकर प्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुशंषा की, जबकि उक्त मौका रिपोर्ट कार्यवाही में न तो प्रार्थी के कोई हस्ताक्षर है और न ही प्रार्थी उस समय मौके पर मौजूद था। इस संबंध में जब प्रार्थी द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर व जिला कलेक्टर, सिरोही के समक्ष आपत्ति करने पर उस गलत मौका रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही नही की, परन्तु अब वर्तमान पंचायत पुनः उस गलत व अवैध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु आमादा है, जिसका ग्राम पंचायत को कोई हक अधिकार नहीं है एवं इस मौका रिपोर्ट में भी इस तथ्य का उल्लेख किया हुआ है कि यदि पट्टा पट्टा संख्या 5 रास्ते की भूमि को छोड़कर बनाया जाता तो विवाद नही होता। ऐसी स्थिति में, इस मौका जांच रिपोर्ट से भी यह तथ्य सुस्थापित है कि पट्टा संख्या 5 रास्ते की भूमि का बना हुआ है।. यह कि मौका रिपोर्ट अनुसार यह भी स्पष्ट किया हुआ है कि वर्ष 1986 में जो पट्टा बनाया उसके उत्तर दिशा में भी कोई रास्ता दर्शित नही किया हुआ है। ऐसी स्थिति में, उस दिशा में दरवाजा खोलना संभव नही है, परन्तु वर्तमान ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा पट्टा संख्या 5 के पट्टा धारक को अवैध लाभ पहुंचाने के लिये पट्टे में उल्लेखित चतुर्दशी के विपरित इस दोनो पट्टों के बीच में रास्ता दर्शित किया जा रहा है, जो कानूनन गलत है। प्रार्थी को जारी पट्टे के दक्षिण दिशा में भी 16x19 फीट खांचा भूमि दर्शित की हुई है तथा प्रार्थी द्वारा इस भूमि पर ही 12x14 फीट की भूमि पर कमरों का निर्माण करवाया हुआ है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी द्वारा अपनी पट्टे शुदा भूमि से भी कम भूमि पर निर्माण किया हुआ है, परन्तु ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा गलत मौका रिपोर्ट बनाकर प्रार्थी के इस पुराने पुश्तैनी मकान को तोड़ने हेतु आमादा है। यह है कि ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा दिनांक 24.5.2022 को प्रार्थी को रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में नोटिस देने के संबंध में द्वारा ग्राम पंचायत, अनादरा को

.......पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:51 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

उक्त नोटिस को खारिज करने का अनुरोध किया, लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा नोटिस को खारिज नही करने से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा प्रार्थी को जारी नोटिस क्रमांक/ग्रा.पं./2022–23/7 दिनांक 24.5.2023 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, अनादरा द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस क्रमांकःग्रा.प./22–23/7 दिनांक 24.5.2023 को इस आशय का जारी किया गया है कि प्रार्थी नियाज मोहम्मद द्वारा नासीर मोहम्मद पुत्र जमील मोहम्मद के भूखण्ड़ के सामने एक दिशा में रास्ते पर प्रार्थी नियाज मोयहम्मद के पट्टे अनुसार 19 फीट निर्माण करने की जगह 27½ फीट भूमि पर आगे अधिक निर्माण किया गया है।

इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 07.2.20211 (जो ग्राम पंचायत, अनादरा के सरपंच व ग्रामसेवक पदेन सचिव की उपस्थिति में तैयार की गई है) के अनुसार फकीर मोहम्मद, नाज मोहम्मद पुत्र सफी मोहम्मद के पट्टा संख्या 24 दिनांक 10.10.1960 के नाप अनुसार पट्टे के दक्षिण पश्चिमी कोने में पश्चिमी भुजा से केवल 19 फीट पर ही नाज मोहम्मद द्वारा कमरे निर्माण करने थे, परन्तु वर्तमान में इनके द्वारा 27½ फीट निर्माण होने से नासीर मोहम्मद के पट्टा संख्या 5 जो इनके भाई अयुब मोहम्मद पुत्र जमीर मोहम्ममद के नाम से बना हुआ है, उस पट्टे की उत्तरी भुजा 75 फीट लम्बी होने से वहां रास्ता मात्र 3.6 फीट ही रहता है। उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 07.2.2011 के अन्तिम पेरा में यह भी अंकित किया है कि फकीर मोहम्मद के पट्टा में से जहां दरवाजा अंकित है वहां रास्ता छोड़कर पट्टा संख्या 5 अयुब मोहम्मद के नाम से बनाया जाता तो विवाद नही रहता, परन्तु पट्टा की चतुर्दशी में दोनों पट्टों के बीच कोई रास्ता नही दर्शाया है। नाज मोहम्मद द्वारा निर्मित कमरे में फकीर मोहम्मद एवं नाज मोहम्मद के मकानात में जाने की जगह ही दबाई जानी प्रतीत होती है, क्योंकि 19 फीट के स्थान पर 27½. फीट पर निर्माण एवं 1½ गली का हिस्सा दबाया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 02.12.2021 (जो अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा ग्राम पंचायत, अनादरा के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी की उपस्थिति बनाई गई है) में भी यह अंकित किया गया है कि मौके पर नियाज मोहम्मद सफी मोहम्मद ने उसके पट्टे के अनुसार 19 फीट की जगह पर 27½ फीट पर आगे निर्माण कर लिया है। इस प्रकार, उक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 07.2.2011 एवं मौका फर्द दिनांक 02.12.2021 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी नियाज मोहम्मद पुत्र श्री सफी मोहम्मद ने उसके पट्टे के अनुसार 19 फीट निर्माण करने की जगरह पर 27½ फीट पर आगे निर्माण किया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी सारहीन नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने से खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26 अक्टूम्बर, 202... –ए–ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:08:51 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते